राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2356 / 2016.................................जिला............जयपुर..

उनवान – मैसर्स श्रीजी ज्वैल्र्स शोरुम नं. 10 सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
1. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय जयपुर 2. वा.क.अ. वृत–बी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष**	
11.01.2017	यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23, 24, 55 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 6,19,630 / – की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया । जिसके विरुद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 6,19,630 / – की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने पर की प्रार्थना की गयी । उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.10.2016 का समर्थन करते हुये अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया मांग राशि रुपये 6,19,630 / – की 50% वसूली कार्यवाही इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरुप (Adequete Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। लगातार........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2356 / 2016.............................जिला...........जयपुर...

उनवान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज – 2 –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2017	शर्त का उल्लघंन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अपीलार्थी अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि उनके समक्ष लंबित अपील नियमित रुप से सुनवाई करते हुये उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपयुर्क्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (खेमराज) अध्यक्ष	